

रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर (छ0ग0)

संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन का विस्तृत विवरण

1. रिक्त पद एवं आरक्षण संबंधी जानकारी :-

रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द महाविद्यालय नारायणपुर हेतु :-

क्र0	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	वेतनमान	पद संख्या	आरक्षण
1	प्रयोगशाला तकनीशियन	1. अनिवार्य :- स्नातक उपाधि के साथ संबंधित प्रयोगशाला का विषय। (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय का स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। 2. वांछनीय :- हिन्दी मुद्रलेखन का अनुभव।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-06 23,350 /- प्रतिमाह देय होगा।	5	02 अनारक्षित 02 अनुसूचित जनजाति 01 अ.पि.व.
2	डाटा एंट्री ऑपरेटर	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-06 23,350 /- प्रतिमाह देय होगा।	1	अनारक्षित
3	सहायक वर्ग-03	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-04 18,000 /- प्रतिमाह देय होगा।	1	अनारक्षित

4	प्रयोगशाला परिचारक	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, सम्बंधित विषय में (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, में से किसी एक विषय का उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। वांछनीय योग्यता: 1. प्रयोगशाला सहायक/परिचारक का प्रमाण पत्र। 2. प्रयोगशाला उपकरणों एवं रसायनों के सुरक्षित रख-रखाव का अनुभव।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-03 16,615/- प्रतिमाह देय होगा।	5	02 अनारक्षित 02 अनुसूचित जनजाति 01 अ.पि.व.
5	बुक लिपटर	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, वांछनीय योग्यता: 1. पुस्तकालय विज्ञान (Library Science) में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा। 2. कम्प्यूटर संचालन एवं पुस्तकालय कार्य का ज्ञान। 3. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कार्यानुभव को वरीयता दी जाएगी।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-01 14,400/- प्रतिमाह देय होगा।	1	01 अनारक्षित
6	भृत्य	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हाईस्कूल दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-01 14,400/- प्रतिमाह देय होगा।	2	01 अनारक्षित 01 अनुसूचित जनजाति
7	स्वीपर	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हाईस्कूल दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-01 14,400/- प्रतिमाह देय होगा।	1	अनारक्षित
8	चौकीदार	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हाईस्कूल दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण।	एकमुश्त संविदा वेतन लेवल-01 14,400/- प्रतिमाह देय होगा।	1	अनारक्षित

2. चयन प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश :-

- (i) प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों हेतु लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा।
- (ii) डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक वर्ग -03 के पदों हेतु लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा।
- (iii) प्रयोगशाला परिचारक/बुक लिपटर/भृत्य/स्वीपर/चौकीदार के पदों हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा।

3. अन्य नियम एवं शर्त :-

- (i) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- (ii) भर्ती किये जाने वाले पदों की संख्या में परिवर्तन अथवा उन्हें भरने अथवा नहीं भरने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा। अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जायेगी तथा चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- (iii) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक होगा।
- (iv) आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ3-2/2015/1-3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05 की छूट देय होगी। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 05 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (v) उच्चतर आयु सीमा में छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) आवश्यक दस्तावेज:- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची /प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र), निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (vii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

4. अनर्हता :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- (ii) परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5. सामान्य निर्देश :-

- (i) आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तों को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (ii) पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन करें। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31.07.2026 तक ई-मेल rkm.narainpur@gmail.com/डाक/By hand के माध्यम से प्रेषित करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची/कौशल परीक्षा की जानकारी एवं अन्य सूचना समय-समय पर संस्था के वेबसाइट में www.rkmnarainpur.org में अपलोड किया जायेगा। इसके लिए पृथक से पत्र नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।
- (iv) अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक पदों के लिये आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। आवेदन पूर्ण रूप से स्पष्ट भरे जाना आवश्यक है अन्यथा अपूर्ण भरे हुए आवेदन निरस्त किये जायेंगे।
- (v) नियुक्ति हेतु विभिन्न पदों के आवश्यक 'अनुभव प्रमाण-पत्र' राज्य के किसी शासकीय कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त/संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- (vi) अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- (vii) लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं दिया जावेगा।
- (viii) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी व्यक्ति के द्वारा संस्तुति कराना या किसी भी प्रकार से अनुचित साधन का उपयोग करना उनकी अभ्यर्थिता के लिए बाधक होगी।

सचिव

रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर (छ0ग0)